न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—315/2013/223 (2013/00117)

1. मु0 सोहनी बेवा मुन्ना उर्फ मुमताज, जाति दाड़ी, नि0 ग्राम रूपपुरा, तह. भिनाय, जिला अजमेर ।
2. सलीम पुत्र मुन्ना उर्फ मुमताज, जाति दाड़ी, नि0 ग्राम रूपपुरा, तहसील भिनाय, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. मोहनी पत्नि मदन, जाति दाड़ी, नि0 रूपपुरा, तह0 भिनाय, जिला अजमेर
2. मुन्ना पुत्र अलादीन, नि0 अलतवा, तह0 मकराना, जिला नागौर ।
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, भिनाय, जिला अजमेर ।
4. राज0 सरकार जरिये नायब तहसीलदार, भिनाय ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय दिनांक 28.12.2012 अंतर्गत वाद संख्या 15/2011 .

उपस्थितः—

1. श्री खड़गसिंह, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 3 व 4.

निर्णय

दिनांकः—31.12.2018

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2012 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार के विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोतिपुरा पटवार हल्का रूपपुरा, तह0 भिनाय स्थित आराजी खसरा नंबर 581 रकबा 0.15 है0, खसरा नंबर 586 रकबा 0.11 है0 व 587 रकबा 0.85 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.11 है0 भूमि वादिया ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 4.1.2011 से खरीद की है जिसका पंजीयन उप पंजीयक, मसूदा के समक्ष कराया गया है तथा खरीद दिवस से वादिया विवादित भूमियों पर काबिज काश्त है । वादिया ने क्रय के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के यहां पृथक—पृथक प्रार्थना पत्र मय विक्रय पत्र पेश कर नामांतकरण हेतु निवेदन किया किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा नामांतकरण खोलने से इंकार किया गया जिससे यह वाद प्रस्तुत करना पड़ा है । अतः निवेदन है कि वाद वादिया डिक्री किया जाकर वादिया को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व अभिलेखों में वादिया के नाम अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2012 द्वारा वादिया का वाद स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में वादिया के नाम अमल दरामद करने के आदेश पारित

किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने धारा 96 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान वकील अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण मुन्ना पुत्र गुलाब के जायज वारिस होकर विवादित आराजियात पर काबिज है किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 ने फर्जी तरीके से अपने भाई मुन्ना जो की अल्लादीन का पुत्र है, उसे फर्जी तौर पर गुलाब का पुत्र बताकर बैनामा अपने नाम करवाकर डिक्री प्राप्त की है व नाजायज तौर पर आराजी मुतनाजा पर अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज करवा आराजी को मुंतकिल करने पर आमादा है । अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांटस के हक व अधिकार प्रभावित हुए है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांटस को निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2012 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमियां वाके ग्राम मोतीपुरा खसरा नंबर 581, 586 व 587 अपीलांटस के पिता मुन्ना उर्फ मुमताज पुत्र गुलाब जाति दाड़ी को आवंटित भूमि होकर उनकी खातेदारी में दर्ज है किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांटस को नोटिस दिये बिना एकतरफा में फर्जी बैनामे के आधार पर डिक्री पारित करवाई है । अपीलांटस अधी0न्याया0 में पक्षकार नहीं होने से उन्हें अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी तत्समय नहीं हो सकी थी । अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.6.2013 को तब हुई जब पटवारी हल्का ने प्रार्थीगण को बताया कि उनकी खातेदारी भूम बाबत् मोहनी का वाद डिक्री हो चुका है तथा उपखण्ड अधिकारी, भिनाय ने मुन्ना का नाम रिकार्ड से हटाकर वादीया का नाम दर्ज करने के आदेश दिये है तत्पश्चात् अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की जानकारी कर प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने के उपरांत जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी के असली खातेदार मुन्ना उर्फ मुमताज पुत्र गुलाब जाति दाड़ी थे जिसे यह भूमिया राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई थी । मुन्ना के देहांत के बाद विवादित आराजियात उनके वारिस अपीलांटस के कब्जे काश्त में चली आ रही है । बहस में आगे कथन किया कि मुन्ना पुत्र अल्लादीन जो कि ग्राम अलतवा, तह0 मकराना, जिला का निवासी है उसने फर्ज तरीके से अपने आपको गुलाब का पुत्र बताकर आराजी मुतनाजा का बैनामा अपनी बहन मोहिनी पत्नि मदन के नाम करा दिया जिसका अपीलांट को पूर्व में कोई इल्म नहीं था । उक्त फर्जी बैनामे की जानकारी होने पर अपीलांटस ने फर्जकारी बाबत् शिकायत मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर अनुसंधान प्रारंभ हो चुका है तथा उक्त फर्जी बैनामे को निरस्त कराने हेतु भी अपीलांटस ने सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिय है जो भी विचाराधीन है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलाटस को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया था जिससे उपरोक्त तथ्य अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सके थे । अधी0न्याया0 के

समक्ष वादिया का वाद किसी भी प्रकार से साबित नहीं था, वादिया ने अधी0न्याया0 के समक्ष जिनकी गवाही कराई है वे वादिया के रिश्तेदार व मिलने वाले है जो कोई महत्व नहीं रखती है । अपीलांटस मूल खातेदार मुन्ना उर्फ मुमताज पुत्र गुलाब के जायज वारिस होकर विवादित आराजियात के खातेदार होकर काबिज है जिन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनके खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2012 को निरस्त किया जावे ।

7. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में जो कथन किये है वे उचित प्रतीत होते है क्योकि विवादित आराजियात का मूल खातेदार अपीलांटस के पिता व पति मुन्ना उर्फ मुमताज पुत्र गुलाब थे । अपीलांटस का कथन रहा है कि वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 ने फर्जीकारी करके बैनामा निष्पादित कराया है तथा उक्त बैनामा बाबत् शिकायत किये जाने पर अनुसंधान जारी है तथा उक्त बैनामे को निरस्त करने हेतु सिविल न्यायालय में वाद भी विचाराधीन है । अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किये जाने से अपीलांटस के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2012 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

8. अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का अवलोकन किया गया । चूंकि अपीलांटस अधी0न्याया0 में पक्षकार नहीं थी जिससे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी निर्णय दिनांक को अपीलांटस को होना नहीं माना जा सकता है । अपीलांटस ने जानकारी के जो तथ्य प्रार्थना पत्र में अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस का मुख्य कथन है कि विवादित आराजियात के मूल खातेदार अपीलांटस के पति व पिता मुन्ना उर्फ मुमताज पुत्र गुलाब जाति दाड़ी थे जिन्हें विवादित भूमि आवंटित हुई थी । अपीलांटस का यह भी कथन रहा है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने विवादित आराजी मुन्ना पुत्र गुलाब से क्रय की है जबकि विक्रेता तथाकथित मुन्ना गुलाब का पुत्र न होकर अल्लादीन का पुत्र है जो ग्राम अलतवा, तह0 मकराना, जिला नागौर का निवासी है जिसने फर्जी तरीके से अपने आपको को गुलाब का पुत्र बताकर विवादित आराजियात का बैचान अपनी बहन रेस्पो0 संख्या 1 मोहिनी पत्नि मदन को किया है । अपीलांटस ने अपने अपीलमीमों एवं बहस में यह भी कथन किया है कि अपीलांटस ने तथाकथित फर्जी बैनामा बाबत् शिकायत की है जिसका अनुसंधान जारी है तथा उक्त फर्ज बैनामा को निरस्त कराने हेतु सिविल न्यायालय में वाद भी विचाराधीन है । उक्त संबंध में हमने अधी0न्याया0 की पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली में संलग्न बैनामा दिनांक 1.7.2013 में बेचाननामा मुन्ना पुत्र गुलाब उर्फ अलादीन द्वारा मोहनी पत्नि मदन के पक्ष में किया गया है । जमाबंदी संवत् 2065 में विवादित आराजियात मुन्ना पि0 गुलाब के नाम दर्ज रिकार्ड है । अपीलांटस ने उक्त विक्रय पत्र को फर्जी बताया है तथा विक्रेता मुन्ना पुत्र गुलाब न होकर मुन्ना पुत्र अलादीन है जो मकराना,

जिला नागौर का निवासी है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत घोषणा के वाद में दर्ज खातेदार अथवा उसके वारिसान आवश्यक पक्षकार थे किन्तु अपीलांटस ने दर्ज खातेदारान अथवा उनके वारिसान को पक्षकार नियुक्त नहीं किया जिससे भी वादीया/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद संधारण योग्य नहीं था । अधी0न्याया0 का भी यह दायित्व था कि खातेदारी उद्घोषणा के वाद में राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार अथवा उसके वारिसान को रिकार्ड पर सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् नहीं होने से अपास्त योग्य पायी जाती है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिना।क 28.12.2012 अपास्त योग्य एवं प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

10. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2012 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद की दिनांक को विवादित आराजियात के दर्ज खातेदार के वारिसान को रिकार्ड पर लेकर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर